पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771 2262818, 2262607

क्रमांक : 3166 / अका. / का.प. / 2008 रायपुर, दिनांक : 10 / 12 / 2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2008 को अपरान्ह 11.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. शुक्ला,	–	सदस्य
7.	श्री एस.के. चक्रवर्ती		सदस्य
8.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
9.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
10.	श्री राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
11.	देवजी भाई, विधायक	–	सदस्य
12.	श्री चंदुलाल साहू, विधायक	–	सदस्य
13.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में श्री शलभ कुमार तिवारी, स्वामी निखिलात्मानंद जी, श्री राहुल महावर, श्री त्रिलोचन पटेल, श्री विनोद खांडेकर, श्री भूपेश बघेल अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 06.10.2008 एवं 13.10.2008 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

   निर्णय :– विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् के स्थान पर कार्यपरिषद् आंशिक संशोधन पढ़ा जाय के साथ दिनांक 06.10.2008 एवं 13.10.2008 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा–70 के तहत् राज्य शासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर विचार किया गया।

   निर्णय :– निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्रों को कार्यपरिषद् ने अपने संज्ञान में लिया। पत्रों में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय एवं समय–समय पर की गई कार्यवाही से कार्यपरिषद् को अवगत् कराया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि छात्र हित में नवस्थापित विश्वविद्यालय की परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर सम्पन्न करेगी।

3. प्रोफेसर एल.एस. निगम, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के निलम्बन की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय :– निलम्बन की सूचना ग्रहण की गई।

4. श्री विक्टर एक्का, उप कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के निलम्बन की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय :– निलम्बन की सूचना ग्रहण की गई।

5. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर द्वारा परिनियम–28 का पालन नहीं करने के संबंध आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि कल्याण स्नातकोत्तर भिलाई के संबंध में राज्य शासन को, कारणों सहित, अनुदान रोके जाने के लिए लिखा जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई अस्थाई सम्बद्धता को समाप्त करने की नोटिश दी जाय। इसी तरह के अन्य महाविद्यालयों की सूची बनाकर परिनियम–28 का पालन न करने वाले महाविद्यालयों पर कार्यवाही कर कार्यपरिषद् को सूचित किया जाय।

6. नवीन विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों के सम्बन्ध में विचार किया गया।

निर्णय :– क्रमांक 2 पर इस संबंध में निर्णय लिया जा चूका है, इसलिये इस कार्यसूची को विलोपित किया जाय।

7. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2176/सा.प्रशा./08 दिनांक 15.09.2008 को निरस्त कर आदेश क्रमांक 24.10.2008/सा.प्रशा./08 दिनांक 26.09.2008 के द्वारा डॉ. एस.के. जाधव को प्रोफेसर जैव तकनीकि के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

8. विनियम क्रमांक 108 भाग–9 की कंडिका 4 द्वितीय परन्तुक प्रावधान के विरूद्ध जारी आदेश क्रमांक 3300/सा.प्रशा./07 दिनांक 30.11.2007 को संशोधित करने एवं अधिक मानदेय भुगतान की स्वीकृति – श्री टी.व्ही. दिवाकरण के संदर्भ में विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी के साथ आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाय।

9. अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– अधिक भूगतान की वसूली के संबंध में चर्चा की गई। राज्य शासन के नियमों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

10. डॉ. एस.सी. नैथानी, स्कूल ऑफ लाईफ साइंस, डी.बी.टी. प्रोजक्ट की ओव्हरहेड बजट से फर्नीचर क्रय के संबंध मे अनुमति – पर विचार किया गया।

निर्णय :– ओव्हर हेड बजट में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय कोष में एवं 50 प्रतिशत राशि ओव्हर हेड प्रोजेक्ट प्राप्त करने वाले विभाग के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर Prime Investigator को व्यय करने के लिए मान्य किया गया।

11. परीक्षा संचालन में होने वाले व्यय के आबंटन के दरों में संशोधन पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि एक समिति बनाकर विस्तृत जानकारी एवं सुझाव आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। समिति में निम्नलिखित रादस्य होंगे –

1. प्रो. आर.के. गुप्ता – अध्यक्ष
2. डॉ. बी.पी. साहू – सदस्य
3. श्री हुबलाल पाण्डेय – सदस्य

समिति 15 दिनों में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

12. कु. ममता बी.ए. भाग–दो, रोल नं. 8214332 के आवेदन के संबंध में श्री कांशी राम सेन, उच्च वर्ग लिपिक वर्ग–2 के स्पष्टीकरण संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– श्री कांशी राम सेन को कड़ी चेतावनी दी जाय कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

13. स्ववित्तीय योजनान्तर्गत योग अनुदेशक की नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– नियमानुसार प्रक्रिया अपनायी जाय। स्वीकृति प्रदान की जाती है।

14. रसायन अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000/– से रू. 20,000/– साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रू. 3000/– से 10,000/– हेल्थ सेंटर की इम्प्रेस्ट राशि रू. 5,000/– से रू. 10,000/– वृद्धि करने पर विचार किया गया।

निर्णय :– रसायन अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000/– से रू. 20,000/–, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रू. 3000/– से 5,000/– एवं हेल्थ सेंटर की इम्प्रेस्ट राशि रू. 5,000/– से रू. 10,000/– वृद्धि मान्य की गई।

15. डॉ. आर.के. प्रधान रीडर, जैविकी अध्ययनशाला के निरस्त की गई शोध–निर्देशक की मान्यता बहाल करने पर विचार किया गया।

निर्णय :– डॉ. आर.के. प्रधान रीडर, जैविकी अध्ययनशाला को शोध–निर्देशक मान्यता पूर्व में निरस्त की गई तिथि से बहाल किया गया।

16. वर्ष 2008–09 में नवीन शासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के आदेश के परिपालन में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति को पत्र लिखा जाय।

पूरक विषयसूची

1. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.11.2008 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णयः– सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. सेठ सुगन चंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग के आवेदन पत्र क्र. नि./अका./2008/Q-01 दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2008 एवं क्रमांक बी.एड्./चयन/08/Q-001 दुर्ग, दिनांक 3 नवंबर 2008 पर विचार गया।

निर्णयः– कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में विचार करने के लिए स्थगित किया गया।

3. सेंट थॉमस महाविद्यालय, रूआ बांधा, भिलाई के प्रकरण के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

4. डॉ. आर.के. शर्मा जबलपुर को रू. 46,180/– को सीमित कर, की गई भुगतान रू. 33,349/– का सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णयः– सूचना ग्रहण की गई।

5. श्री एन.के. दयाल, उच्च वर्ग लिपिक, वर्ग–दो, सेवा निवृत्त के निलम्बन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः– श्री एन.के. दयाल के संबंध में विधिक सलाह लेकर आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाय।

6. प्रतिक्षा सूची में उल्लेखित उम्मीद्वार श्री विशाल जैन (अनारक्षित) को व्याख्याता फार्मेसी के पद पर नियुक्ति के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– प्रतिक्षा सूची में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश किया गया – मान्य।

7. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2008–09 के लिये उत्तर पुस्तिका निर्माण हेतु कागज क्रय करने पर विचार किया गया।

निर्णयः– स्वीकृति प्रदान की गई।

8. छात्राओं को अकेले घर/स्थानीय अभिभावक के घर जाने की छूट दिये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

   <u>निर्णयः–</u> विश्वविद्यालय हित में निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय।

9. प्रस्तावित A.T.M. स्थापना का नक्शा – भारतीय स्टेट बैंक का पत्र क्रमांक MISC/2008-09/33 dated 27-11-2008 पर विचार किया गया।

   <u>निर्णयः–</u> विचार नहीं किया गया।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से</u>

1. मुख्य परीक्षा 2008–09 के परीक्षा केन्द्र निर्धारण पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया की विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर कार्यपरिषद् को इसकी सूचना आगामी बैठक में दें।
2. कुलपति जी छात्राओं के लिये अलग से केन्टीन बनाये जाने संबंधित प्रस्तावित – को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।
3. कुलपति जी द्वारा आगामी दीक्षांत समारोह की प्रगति की सूचना दी गई। दीक्षांत समारोह – जनवरी 2009 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होगी।
4. कुलपति जी द्वारा सुरक्षित एवं गोपनियता बनाये रखते हुए समय पर मूल्यांकन कार्य सम्पन्न हो सके इसके लिए समन्वयक राज्य से बाहर का नियुक्त करने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।
5. कुलपति जी द्वारा परीक्षा की तिथियाँ बढ़ाये जाने के लिये छात्रों द्वारा की जा रही माँग, की जानकारी कार्यपरिषद् को दी गई। परीक्षायें समय पर सम्पन्न हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब तिथि नहीं बढ़ाई जा सकती। तीन बार परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। अब तिथियाँ नहीं बढ़ाई जा सकती।
6. कार्यपरिषद् के सदस्य प्रो. आर.पी. दास द्वारा अध्यक्ष के नाते से बी.बी.ए. शोध छात्र/छात्राओं कों परीक्षा में बैठने से 106 छात्र/छात्रा को रोका गया।
7. बी.ई के छात्र/छात्राओं को एक अवसर प्रदान किया गया है। 29.11.2008 को संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्यों की बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया गया है।
8. विश्वविद्यालय में विधिक प्रकरणों को देखते हुए विश्वविद्यालय में लॉ आफिसर की नियुक्ति हेतु उप कुलसचिव के विरूद्ध एक पद पर नियुक्ति के लिये राज्य शासन, वित्त विभाग को पत्र लिखा जाय।

9. अध्यक्ष की अनुमति से चयन समिति की अनुशंसा, महाविद्यालयों के लिफाफे खोले गये –

1. महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर में प्राचार्य पद के लिये डॉ. देवाशीष मुखर्जी को, प्राचार्य मनोनयन का अनुमोदन किया गया।
2. शांति निकेतन महाविद्यालय, तात्यापारा रायपुर में डॉ. देवहुति तिवारी को प्राचार्य नियुक्त किये जाने की अनुशंसा मान्य किया गया।
3. विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में डॉ. मेघेश तिवारी को प्राचार्य पद पर नियुक्त किये जाने की अनुशंसा मान्य किया गया।
4. सेठ आर.सी.एस. महाविद्यालय का लिफाफा आगामी कार्य–परिषद् में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्य–परिषद् में अमूल्य योगदान के लिये विधान–सभा द्वारा मनोनीत विधायकगण को प्रशंसित कर पुष्प–गुच्छ से स्वागत कर आभार मानते हुए। विदाई दी गई।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री व्ही.पी. सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन धारण कर कार्य–परिषद् सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कुलपति (अध्यक्ष)

कुलसचिव (सचिव)

पृ.क्रमांक : 3167/अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : 10/12/2008

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षण
5. समस्त विभागीय अधिकारी– अपने–अपने विभाग से संबंधित प्रकरण पर निर्णयानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजने का कृपया कष्ट करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहाय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

कुलसचिव